

वकील... 3/1/18... को पेश हो।

वकील... उभय... पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय, प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/बाहर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक... 10/5/18... को पेश हो।

वकील... उभय... पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय, प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/बाहर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक... 7/6/18... को पेश हो।

वकील उभयपक्ष/अपीलाण्ट उप./पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक... 5/7/18... को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील रेसपोडेंट उप/ वकील अपीलान्ट को बार-बार कागज लाने के उपरान्त भी न हो अपीलान्ट उप इफ्त नही वकील अपीलान्ट उप इफ्त कर। प्रकरण का इफ्त हाजरी एवं कट्टा फेरमी के रकारिज की जाती है। पत्रावली नाममात्र ही कय लेका बाद तकमील डारफिल दफ्त है।